कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़, देहरादून— 248001

Emailid-ceo_uttaranchal@eci.gov.in फैक्स नं0 (0135) 2713724 फोन नं0(0135) – 2713551

संख्या 347/XXV–12 (P-14)/2021 देहरादूनः दिनांक 12 मार्च, 2026

पंजीकृत

सेवा में,

श्री दीपक सेमवाल,
पुत्र श्री टीकाराम सेमवाल
निवासी EWS-165 MDDA
कॉलोनी केदारपूरम, देहरादून।
मो0नं0—9410196772

विषय— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 के अन्तर्गत सूचना का प्रेषण।

महोदय

उपरोक्त विषयक अपने अनुरोध पत्र दिनांक 07.03.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 01 से 07 तक सूचना के एवज में रू0 40.00 (चालीस रूपये मात्र) अतिरिक्त शुल्क पोस्टल ऑडर के द्वारा जमा कर दिया गया है।

उक्त के कम में आपको बिन्दु संख्या 01 से 07 तक की सूचनाएं (20) प्रमाणित छायाप्रतियों में नियमानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं। इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि आप असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्न—यथोपरि—(20)

भवदीय,

अपीलीय अधिकारी का पता
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4—सुभाष रोड़,
देहरादून—248001
मो0न0—9897995591

Digitally signed by
BASANT SINGH RAWAT
Date: 12-03-2026
15:26:40

(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।
मो0नं0 9411740189

प्राप्त – 07/03/26

सेवा में,

लोक सूचना अधिकारी,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड,
विष्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
4– सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर,
देहरादून, उत्तराखण्ड–248001

विषयः– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत सूचना चाहने विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या 308/XXV-12(P-14)/2021 दिनांक 05 मार्च, 2026 में प्रार्थी के सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 संबधी अनुरोध पत्र पर बिन्दु संख्या 01 से 07 तक में सूचना चाहीं गयी है जिस पर आपके द्वारा 40.00 (चालिस रूपये मात्र) अतिरिक्त शुल्क देय हेतु कहा गया है।

महोदय प्रार्थी उक्त धनराषि का पोस्टल आर्डर जो लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य निर्वालय अधिकारी , उत्तराखण्ड के नाम पर है को संलग्न कर प्रेषित कर रहा है । प्रार्थी को उक्त सूचना बिन्दु संख्या 01 से 07 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

दिनांक 07 / 03 / 2026

प्रार्थी,

[signature] 7/3/26

(दीपक सेमवाल)
पुत्र श्री टीकाराम सेमवाल,
निवासी EWS-165 MDDA
कालोनी केदारपूरम, देहरादून,
उत्तराखण्ड।
मो0नं0–9410196772

UTTARAKHAND PURV SAINIK KALYAN NIGAM LTD. (UPNL)

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)
Station Sub Area Canteen Complex,
Garhi Cantt, Dehradun - 248003
Ph. / Fax : 0135-2754041

1356.

Date : 28 Jun 2010

Sanyukt Mukhya Nirvachan Adhikari.
4- Subhash Road Sachivalya Prisar.
Uttarakhand Dehradun.

SUB : SPONSORING FOR THE CONTRACTUAL POST OF KANISHTH SAHAYAK.

Sir/ Madam,

1. Please refer your Letter No. 395/25-XXV-2 (1)/2008. Dehradun दि. 23-6-10

2. We hereby sponsor the following individuals for the above mentioned post on contract basis and their particulars are as under :-

(i) Name Sh Deepak Semwal S/o,D/o,W/o Sh Tika Ram Semwal.
DOB 01-5-85 R/o Vill- Sarnol Patti- Thakral
Contract No. 9410196772 Teh- Badkot Distt- Uttarkashi (UK)

(ii) Name S/o,D/o,W/o
DOB R/o
Contract No.

(iii) Name S/o,D/o,W/o
DOB R/o
Contract No.

(iv) Name S/o,D/o,W/o
DOB R/o
Contract No.

(v) Name S/o,D/o,W/o
DOB R/o
Contract No.

(vi) Name S/o,D/o,W/o
DOB R/o
Contract No.

Jt. CEO
(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड
5/7/2010

SO. Ele.

05/7/10

(Dr. Hemlata Dhaundiyal)
Joint Chief Electoral Officer
Uttarakhand

(PTO)

Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam Ltd.
Yours Sincerely

Auth. Sign. Director

UTTARAKHAND PURV SAINIK KALYAN NIGAM LTD.

छाया प्रति प्रमाणित

BSRawat
(बी एस रावत)
अनु(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(2)

सेवा मे,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड देहरादून।

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि मेरे द्वारा दिनांक 01-07-10 को उपनल के माध्यम से मुख्य निर्वाचन कार्यालय मे कनिष्ठ सहायक /कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर संविदा के रूप मे कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

अतः सूचना सेवा मे प्रेषित है।

दिनांक 01.07.2010

1.7.10
दीपक सेमवाल

छायाप्रति प्रमाणित

B. S. Rawat
(बी एस रावत)
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(डा. हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

(3)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001
फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 2713724

संख्या 395 /25–XXV–2 (1)/2008 देहरादून : दिनांक 23 जून 2010

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0,
देहरादून।

विषयः– मुख्य निर्वाचन कार्यालय हेतु कनिष्ठ सहायक उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उत्तराखण्ड हेतु एक कुशल कनिष्ठ सहायक की आवश्यकता है। कृपया निर्वाचन कार्यों की तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को श्री दीपक सेमवाल पुत्र श्री टीकाराम सेमवाल, ग्राम–सरनौल, पट्टी–ठकराल, तहसील–बड़कोट, जिला उत्तरकाशी, जो हिल्ट्रॉन के माध्यम से विगत दो वर्षों से निदेशालय लेखा एवं हकदारी, देहरादून में कम्प्यूटर आपरेटर के रूप में कार्यरत हैं एवं उनके द्वारा निर्वाचन विभाग में कनिष्ठ सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्य करने हेतु आवेदन किया गया है, को उपनल की शर्तों एवं निर्धारित दरों पर विशेष परिस्थितियों में नियमानुसार संविदा के आधार पर निर्वाचन विभाग (मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय) को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

छायाप्रति प्रमाणित

भवदीया,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी

(बी0 एस0 रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(4)

43

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,

देहरादून।

महोदया,

निवेदन इस प्रकार है कि मेरे संज्ञाान में आया है कि आपके विभाग में कम्प्यूटर आपरेटर के कुछ पद रिक्त हैं, प्रार्थी ने एक वर्ष का कम्प्यूंटर का डिप्लोमा कोर्स किया है तथा प्रार्थी विगत 2 वर्ष से निदेशालय लेखा एवं हकदारी, देहरादून में संविधा पर कम्प्यूटर आपरेटर के पद पर कार्यरत है, प्रार्थी को कम्प्यूंटर का अच्छा ज्ञान है तथा जिसका प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रार्थी 12वीं पास है तथा प्रार्थी जनपद उत्तरकाशी के ग्राम सरनौल जो उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है का निवासी है। प्रार्थी का नाम सेवायोजन कार्यालय उत्तरकाशी में पंजिकृत है जिसका पंजियन संख्या 4412/2005 है। प्रार्थी के सभी प्रमाण–पत्र छायाप्रति में संलग्न है।

अतः महोदया से निवेदन है कि प्रार्थी को कम्प्यूंटर आपरेटर के पद पर रखने का कष्ट करें।

धन्यवाद।

दिनांक

प्रार्थी,

[signature]

दीपक सेमवाल

पुरोला, उत्तरकाशी।

Jt. CEO-

छायाप्रति प्रमाणित

8/4/10

(राधा रतूड़ी)
सचिव एवं

2/4

(डा. हेमलता ढौंडियाल)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

प्रमाणित

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

विभाग
पत्रावली संख्या

-25- टीपें और आज्ञायें

(5)

अपर सचिव/अ0मु0नि0अ0,

कृपया पताका-क पर श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (उपनल), कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड के आवेदन पत्र दिनांक 07-12-2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उनके द्वारा मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर तदर्थ / संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ताकि उनका भविष्य सुरक्षित रह सकें।

2- श्री सेमवाल द्वारा अनुरोध किया गया है कि वर्तमान में प्राप्त होने वाले पारिश्रमिक से उन्हें अपने परिवार का पालन-पोषण करने साथ-साथ बच्चों की शिक्षा-दीक्षा में भी अत्यधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके साथ उनकी छोटी बहिन, जिनके पति का दुर्भाग्यवश सड़क दुर्घटना में देहान्त हो गया था, भी अपनी पुत्री सहित रहती है एवं प्रार्थी की दो पुत्रियां हैं, जो अब स्कूल जानी योग्य हो गयी हैं, उनके पालन-पोषण का पूर्ण उत्तरदायित्व भी मेरे ऊपर ही है। यह भी अनुरोध किया गया है कि उनका देहरादून में अपना कोई आवास न होने के कारण वह किराये के मकान में रह रहा है।

3- उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के तीन पद रिक्त हैं, जिनमें से एक पद पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी महोदया की सेवा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उनके द्वारा विगत 05 वर्षों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर उपनल के माध्यम से निरन्तर संतोषजनक सेवाओं, प्रार्थी के कार्य अनुभव एवं पारिवारिक स्थित को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर तदर्थ / संविदा के आधार पर नियुक्ति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

4- उक्त सन्दर्भ में महोदय के संज्ञान में लाना है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के 03 (तीन) पद स्वीकृत हैं, जिन पर उपनल से out sourcing के माध्यम कार्मिक कार्यरत हैं, जिनमें श्री दीपक सेमवाल भी सम्मिलित हैं। श्री सेमवाल द्वारा कनिष्ठ सहायक के उक्त 03 (तीन) पदों में से एक पद पर उपनल के स्थान पर सीधे विभाग में तदर्थ / संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु निवेदन किया गया है।

5- अतः श्री सेमवाल को उपनल के स्थान पर सीधे विभाग में तदर्थ / संविदा के आधार पर कनिष्ठ लिपिक के पद पर तैनान किये जाने के संबंध में उच्चस्तरीय निर्णय निवेदित है।

कृपया सहमति की दशा में श्री दीपक सेमवाल को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर तदर्थ /संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने के संबंध में उच्चस्तरीय निर्णय हेतु पत्रावली प्रमुख सचिव एवं मु0नि0अ0 महोदया को सन्दर्भित करना चाहें।

Pmanori
17-12-15
प्र0सहा0

छायाप्रति प्रमाणित

महोदय,
वर्तमान में श्री सेमवाल उपनल के माध्यम से क.स. के पद पर (वाह्य स्रोत) कार्यरत हैं। श्री सेमवाल →

(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्रालेख

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

द्वारा उपनल के स्थान पर सीधे विभागीय संविदा / तदर्थ आधार पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है किन्तु नियमानुसार बिना किसी प्रक्रिया ~~का~~ के किसी व्यक्ति को सीधे संविदा / तदर्थ आधार पर रखे जाने का कोई प्राविधान नहीं है। तदनुसार निर्णयार्थ निवेदित।

19/12/2015
S.O.

Seen
5/1/16
([illegible])
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

छायाप्रति प्रमाणित

(बी० एस० रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

प्राप्त-3111/2047
(7)

उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम (उपनल)
Uttarakhand Purv Sainik Kalyan Nigam (UPNL)
Andaman Road, Garhi Cantt. Dehradun - 248003 Telfax : 0135-2754041
Website - www.upnl.co.in, E-mail : upnl.ua@rediffmail.com, info@upnl.co.in, rpo@upnl.co.in

24 अक्टूबर 2017

पत्रांक : 5266 / आर0पी0ओ0 / उपनल

सेवा में,

1. श्री दीपक सेमवाल (कनिष्ठ सहायक)
   पुत्र श्री टीकाराम सेमवाल
   निवासी – H-118 नेहरू कालोनी देहरादून।

2. श्री रमेश पंवार (वाहन चालक)
   पुत्र श्री प्रताप सिंह पंवार
   निवासी – दीपनगर देहरादून, उत्तराखण्ड।

विषय : व्याख्या प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

1. उपरोक्त विषयक मुख्य निर्वाचन अधिकारी देहरादून के पत्रांक 2432 / XXV-01(2)/2011 दिनांक 06 अक्टूबर 2017 के सन्दर्भ में जिसमें आपकी शिकायत प्राप्त हुई है कि आपने फर्जी हस्ताक्षर कर वाहनों में क्षमता से अधिक ईधन आपूर्ति कर रूपये 4,99,038/– का व्याधिक्य किया गया। आपके द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर वित्तीय अनियमितता, शासकीय धन का दुरूपयोग एवं उच्चाधिकारियों को गुमराह कर अभिलेखों में हस्ताक्षर करवाने आदि कृत्यों के लिए दोषी पाये जाने के कारण विभाग द्वारा तत्काल आप दोनो की सेवाये समाप्त की जा चुकी है एवं बकाया राशि का भुगतान आपके वेतन से करवाये जाने हेतु उपनल को पत्र प्रेषित किया गया है।

2. अतः उक्त सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण शीघ्र उपनल कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

मेजर हिमांशु रौतेला (अ0प्रा0)
उपमहाप्रबन्धक (उपनल)

छायाप्रति प्रमाणित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :–
1. कार्यालय
   मुख्य निर्वाचन अधिकारी
   उत्तराखण्ड देहरादून।

भवदीय

मेजर हिमांशु रौतेला (अ0प्रा0)
उपमहाप्रबन्धक (उपनल)

S.O(R)
03.11.17

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

4 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) – 2712055, 2713551

फैक्स न0 (0135) – 2713724, 2712014

सख्या 2456 / XXV–17 / 2008 देहरादूनः दिनाक 13 अक्टूबर, 2017.

सेवा में,

प्रबन्धक,
उपनल, देहरादून।

विषयः– **निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में वाहन चालक एवं कनिष्ठ सहायक के पद पर उपनल के माध्यम से तैनात कार्मिकों के माह सितम्बर, 2017 के पारिश्रमिक एवं संबंधितों के प्रोत्साहन भत्ता बिलों का भुगतान।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में उपनल के माध्यम से संविदा पर तैनात वाहन चालक के पद पर श्री रमेश, श्री रविन्द्र सिंह कार्की,श्री मनीष शाही एवं कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत श्री दीपक सेमवाल, श्री हिमांशु नेगी एवं सुश्री पूनम डिमरी का माह सितम्बर, 2017 का पारिश्रमिक एवं संबंधितों का माह जुलाई से सितम्बर, 2017 तक 03 माह का प्रोत्साहन भत्ता की कुल धनराशि रू0 1,67,036.00 (एक लाख सड़सठ हजार छत्तीस मात्र) की धनराशि कोषागार द्वारा सीधे आपके बैक खाता संख्या– 4456002100000033 पंजाब नेशनल बैक शाखा में दिनांक 12–10–2017 को हस्तांतरित की जा चुकी है। तदनुसार उक्त की प्राप्ति रसीद अभिलेख हेतु शीघ्र उपलब्ध कराते हुए संबंधित वाहन चालकों एवं कनिष्ठ सहायक को समय पर वेतन का भुगतान करने का कष्ट करें। उक्त भुगतान आपके द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या–**1710529 दिनांक 04–10–2017** एवं **बिल संख्या–11952 दिनांक 04–10–2017** के अनुसार प्रेषित किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यालय आदेश संख्या– 2432 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 द्वारा **श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री रमेश, वाहन चालक द्वारा वित्तीय अनियमितता एवं उच्चाधिकारियों को गुमराह किये जाने के कारण इस कार्यालय द्वारा उपनल को वापस किये गये है। साथ ही** कार्यालय के पत्र संख्या– 2442 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 के कम में **श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक एवं श्री रमेश, वाहन चालक के वेतन / प्रोत्साहन भत्ता से कुल रू0 25,814.00 वसूल** करते हुए मै0 व्हील सेन्टर, 57ए गांधी रोड़, देहरादून के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित करने का कष्ट करें। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त कार्यालय आदेश 2432 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 एवं कार्यालय पत्र संख्या– 2442 दिनांक 11 अक्टूबर, 2017 की प्रति पुनः प्रेषित है।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय

(मस्तूदास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

छायाप्रति प्रमाणित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

Rec copy 13/10

(9)

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

2 – सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून – 248001

फोन न0 (0135) – 2712055, 271355
फैक्स न0 (0135) – 2712014, 271372

संख्या 2442/XXV–1(2)/2011 देहरादून : दिनांक 11 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल)
उत्तराखण्ड,देहरादून।

विषयः– श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्स), एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक आउटसोर्स) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून के माह सितम्बर, 2017 के वेतन से धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय आदेश संख्या–2432/XXV-01(2)/2011 दिनांक 06 अक्टूबर, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय में संचालित वाहनों के ईंधन आपूर्ति के माह सितम्बर, 2017 के देयक सम्बन्धित फर्म मै0 व्हील सेन्टर, 57 ए गांधी रोड़ देहरादून द्वारा भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिसके जांच करने पर परिलक्षित हुआ है श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्स), एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक (आउटसोर्स) द्वारा संचालित वाहनों के ईंधन की आपूर्ति क्षमता से अधिक ईंधन पर्चियों फर्जी हस्ताक्षर कर वित्तीय अनियमितता निम्नवत् की गई हैः–

क. सं.	बिल संख्या व दिनांक	वाहन सं0 जिनकी फर्जी पर्ची दी गई	फर्जी हस्ताक्षर कर पर्ची का दि.	ईंधन की मात्रा व प्रकार	ईंधन की धनराशि
1	2	3	4	5	6
1.	सं.–563 दि. 02.9.2017	UK07GA0181	02.09.2017	70 लीटर पेट्रोल	5098.10
2.	सं.–563 दि. 02.9.2017	UK07GA0181	02.09.2017	500ML HP Cruise	540.00
3.	सं.–487 दि. 02.9.2017	UA07Q 4997	02.09.2017	70 लीटर पेट्रोल	5098.10
4.	सं.–487 दि. 02.9.2017	UA07Q 4997	02.09.2017	500ML HP Cruise	540.00
5.	सं.–562 दि. 02.9.2017	UK07GA0278	02.09.2017	60 लीटर डीजल	3622.80
6.	सं.–567 दि. 02.9.2017	9697	02.09.2017	50 लीटर पेट्रोल	3641.50
7.	सं.–564 दि. 03.9.2017	UK07GA0934	03.09.2017	60 लीटर डीजल	3626.40
8.	सं.–565 दि. 03.9.2017	3404	03.09.2017	50 लीटर पेट्रोल	3646.50
			कुल योगः–		25813.40

उक्त दोनों कार्मिकों द्वारा शासकीय धन का दुरूपयोग एवं उच्चाधिकारियों को गुमराह कर अभिलेखों में हस्ताक्षर करवाने आदि कृत्यों के लिये दोष पाये जाने पर श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्स) एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक (आउटसोर्स) की सेवायें उक्त वर्णित पत्र के अनुसार समाप्त की गई हैं। दोनों कर्मियों के माह सितम्बर, 2017 का वेतन एवं पारितोषिक भत्ता भुगतान आपके द्वारा किया जाना है। **उक्त धनराशि का आधा–आधा अर्थात रू0 12,907/–वसूल करते हुए कुल रू0 25,814/–(पच्चीस हजार आठ सौ चौदह) मात्र सम्बन्धित फर्म मै0 व्हील सेन्टर, 57 ए गांधी रोड़ देहरादून के नाम से डिमाण्ड ड्रापट प्रेषित करते हुए** इस कार्यालय को उक्तानुसार यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

छायाप्रति प्रमाणित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

भवदीय,
(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

पृ0संख्या 2442 /XXV-01(2)/2011, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. श्री दीपक सेमवाल पुत्र श्री टीकाराम, हाल निवासी–एच.118 नेहरू कालौनी, देहरादून ।
2. श्री रमेश पंवार पुत्र श्री प्रताप सिंह पंवार, हाल निवासी दीपनगर, देहरादून ।
3. कार्यालय प्रति।

(10)

कार्यालय
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
संख्या 2432/XXV-01(2)/2011
दिनांक : देहरादून 06 अक्टूबर, 2017.

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय में संचालित वाहनों के ईधन की आपूर्ति से संबंधित ईधन पर्चियों में श्री दीपक सेमवाल पुत्र श्री टीकाराम सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्स), हाल निवासी–एच. 118 नेहरू कालौनी, देहरादून एवं श्री रमेश पंवार पुत्र श्री प्रताप सिंह पंवार, वाहन चालक (आउटसोर्स) हाल निवासी दीपनगर, देहरादून द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर वाहनों में क्षमता से अधिक ईधन आपूर्ति कर **रू0 4,99,038/–(चार लाख निन्नानबे हजार अड़तीस)** का व्याधिक्य किया गया जो गम्भीर वित्तीय अनियमतता है। उक्त दोनों कार्मिकों से उक्त धनराशि वसूल कर ट्रेजरी चालान सं0–00201 दिनांक 19 सितम्बर, 2017, चालान सं0–10283 दिनांक 27 सितम्बर, 2017 एवं चालान संख्या–00041 दिनांक 03 अक्टुबर, 2017 द्वारा शासकीय कोष में जमा की जा चुकी है। तदनुसार फर्जी हस्ताक्षर कर वित्तीय अनियमितता, शासकीय धन का दुरूपयोग एवं उच्चाधिकारियों को गुमराह कर अभिलेखों में हस्ताक्षर करवाने आदि कृत्यों के लिये दोष पाये जाने पर उक्त श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्स) एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक (आउटसोर्स) की सेवायें तत्काल समाप्त करते हुए इन कार्मिकों को उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल) उत्तराखण्ड देहरादून को वापस किया जाता है।

(राधा रतूड़ी)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

पृ0संख्या 2432 /XXV-01(2)/2011, तददिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़ माजरा,देहरादून।
2. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. आहरण वितरण अधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0(उपनल)उत्तराखण्ड देहरादून।
5. श्री दीपक सेमवाल पुत्र श्री टीकाराम सेमवाल, कनिष्ठ सहायक (आउटसोर्स), हाल निवासी–एच.118 नेहरू कालौनी, देहरादून ।

श्री रमेश पंवार पुत्र श्री प्रताप सिंह पंवार, वाहन चालक (आउटसोर्स) हाल निवासी दीपनगर, देहरादून ।

समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड देहरादून।

कार्यालय प्रति।

छायाप्रति प्रमाणित
B. Rawat

आज्ञा से,

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी

(11)

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

महोदय,

निर्वाचन विभाग के विभागीय वाहनों मे प्रयुक्त ईंधन के संबंध मे प्रारम्भ मे परिलक्षित हुई ईंधन और तत्सम्बन्धी वित्तीय अनियमितता के क्रम में महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 16.9.2017 तक कुल धनराशि 178000=00 मे से 60000=00 मात्र की धनराशि को प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.9.2017 को संबंधित पैट्रोल पम्प मे जमा कराकर प्राप्ति रसीद इसी दिन महोदया के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी एवं शेष धनराशि दिनांक 16.9.2017 तक जमा करवाकर प्राप्ति रसीद महोदया के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। [signature]

साक्षी

(1) श्री प्रदीप सेमवाल [signature] 08/09/17
S/o श्री टीकाराम सेमवाल
म-118 नेहरू कालोनी
देहरादून - 7060482960

(2) [signature] 8/9/17
इजत मेहरा
S/o स्व. श्री भोलानाथ मेहरा
... कैमतस बैंक

प्रार्थी [signature]
दीपक सेमवाल 8/9/17
S/o श्री टीकाराम सेमवाल
म-118 नेहरू कालोनी
देहरादून 9410196777

छायाप्रति प्रमाणित
[signature]
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(12)

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा — मुख्य शाखा भा० स्टेट बैंक

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम (तथा पदनाम, यदि आवश्यक हो) — मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या० उत्तराखण्ड देहरादून।
2. पता — योजना भवन कक्ष सं० 101 सचिवालय परिसर देहरादून।
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) — निर्वाचन विभाग
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) — श्री [illegible] एवं श्री [illegible] द्वारा प्रशासकीय [illegible] की वसूली रु. 5038
5. चालान की सकल (Gross) राशि Rs. रु. 5038/-
6. चालान की निबल (Net) राशि Rs. रु.
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर — 0070 – अन्य प्रशा० सेवाए
   60 – अन्य सेवाए.
   800 – अन्य प्राप्तियां
   06 – अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां
   00 –
8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0070	60	800	06	00	5038
		योग			5038

00041

धनराशि (शब्दों में) पाँच हजार अड़तीस

B S Rawat
रु 5038

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारीके हस्ताक्षर मुहर सहित
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्या. मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

छायाप्रति प्रमाणित
B S Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी

(13)

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... दिनांक .... अंको में रु. [ ]

शब्दों में रु. ....

.... प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (धनराशि केवल रुपयों में)

नोट	संख्या	राशि
2000 X	2	4000
500 X	2	1000
100 X		
50 X	1	50
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
योग		5038,

चैक का विवरण संख्या दिनांक राशि (रु.)

टिप्पणी :– 1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप वित्तीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञप्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

फार्म प्राप्ति स्थान : Jai Prakash & Sons, 109 पल्टन बाजार, (कोतवाली के पास), देहरादून, फोन : 0135-6451234, 2656361

छायाप्रति प्रमाणित
B. Rawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(नियम 417 एवं 448 देखिये)
उपकोषागार (नॉन बैंकि
व शाखा
जिस व्यक्ति या सं
जमा की जा रही
(तथा पदनाम, य
पता
पंजीकरण
(यदि आ
जमा की
(धनरा
तथा
5. चाल
6. चा
7.
8.

(14)

प्रपत्र संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा ..... मुख्य शाखा भा. स्टेट बैंक

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम (तथा पदनाम, यदि आवश्यक हो) ..... मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्या. उत्तराखण्ड देहरादून.

2. पता ..... ~~[illegible]~~ कक्ष सं-101 सचिवालय परिसर देहरादून
निर्वाचन विभाग

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) ..... 1. श्री दीपक सेमवाल S/o डी.के. सेमवाल निवासी - H 113 [illegible] कालोनी देहरादून से शासकीय वसूली रु 1,24,000/- 2. श्री रमेश पंवार S/o स्व. प्रताप सिंह पंवार निवासी [illegible] देहरादून से शासकीय वसूली

5. चालान की सकल (Gross) राशि Rs. रु. ..... रु 1,24,000 (एक लाख चौबीस हजार)

6. चालान की निबल (Net) राशि Rs. रु. ..... 2,48,000/- (दो लाख अड़तालीस हजार)

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर ..... 0070- अन्य प्रशा. सेवाएं
60 अन्य सेवाएं
800- अन्य प्राप्तियां
06- अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां
00

8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 0 7 0	6 0	8 0 0	0 6	0 0	2,48,000
योग					2,48 000

102283

धनराशि (शब्दों में) ..... (दो लाख अड़तालीस हजार मात्र)

00231

248000

भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा, देहरादून-0630
ID No.: 2619283
27 SEP 2017
D. P. Joshi (Sr. Asstt.)
सरकारी प्राप्तियाँ

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारीके हस्ताक्षर मुहर सहित
(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर
B S Rawat

छायाप्रति प्रमाणित
B Rawat
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

15

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... दिनांक .... अंको में रु. [ ]

शब्दों में रु. ....

.... प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक की मोहर

विवरण : रोकड़ (धनराशि केवल रुपयों में)

नोट	संख्या	राशि
2000 X	52	1,04,000
500 X	258	1,29,000
100 X	100	10,000
50 X	100	5,000
20 X		
10 X		
5 X		
2 X		
1 X		
योग		2,48,000/-

चैक का विवरण	संख्या	दिनांक	राशि (रु.)

टिप्पणी :– 1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

फार्म प्राप्ति स्थान : Jai Prakash & Sons, 109 पल्टन बाजार, (कोतवाली के पास), देहरादून, फोन : 0135-6451234, 2656361

छायाप्रति प्रमाणित
Bsrawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य [illegible]

(16)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

[illegible] संख्या–43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 448 देखिये)

उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक का नाम व शाखा .... S.B.I मुख्य शाखा

1. जिस व्यक्ति या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम (तथा पदनाम, यदि आवश्यक हो) .... मुख्य निर्वाचन अधि. कार्या. उत्तराखण्ड, देहरादून

2. पता .... ओ.एन.जी. भवन प्रथम तल सचिवालय परिसर देहरादून

निर्वाचन विभाग

3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) .... 1- श्री दीपक सेमवाल, कनि. सहा. S/o टीकाराम हाल निवासी. H-118 नेहरू कालोनी दे.दून

4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस उद्देश्य हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है) .... से शासकीय वसूली रु. 1,18,000/- 2- श्री रमेश पवांर S/o प्रताप सिंह पवांर निवासी दीपनगर देहरादून से शासकीय वसूली रु. 1,28,000/-

5. चालान की सकल (Gross) राशि Rs. रु. ....

6. चालान की निबल (Net) राशि Rs. रु. 2,46,000/- (दो लाख छयालीस...)

7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मोहर .... 0070- अन्य प्रशासनिक सेवायें
60- अन्य सेवायें
800- अन्य प्राप्तियां
06 अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियां
00

0070

8. लेखा–शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु–शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार–शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0070	60	800	06	00	2,46,000
योग					2,46,000

246000/-

भारतीय स्टेट बैंक मुख्य शाखा, देहरादून-0630 ID. No. 2619288
19 SEP 2017
D. P. [illegible] (Sr. Assit.) सरकारी प्राप्तियाँ
हस्ताक्षर :

धनराशि (शब्दों में) .... (दो लाख छयालीस हजार मात्र)

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारीके हस्ताक्षर मुहर सहित

B.S. Rawat
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

छायाप्रति प्रमाणित

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

(17)

केवल उपकोषागारों (नॉन बैंकिंग)/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... दिनांक .... अंको में रु. [ ]

शब्दों में रु. ....

....

.... प्राप्त किया

विवरण : रोकड़

(धनराशि केवल रुपयों में)

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
उपकोषागार (नॉन बैंकिंग)/बैंक की मोहर

नोट	संख्या	राशि
2000 X	58	1,16,000
500 X	247	1,23,500
100 X	14	1400
50 X	101	5050
20 X		—
10 X	5	50
5 X		
2 X		
1 X		
योग		2,46,000/-

चैक का विवरण

संख्या	दिनांक	राशि (रु.)

टिप्पणी :— 1. जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग, आबकारी आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड–4 अथवा लोक लेखा खण्ड–2 के अनुसार लेखाशीर्षक मुद्रित कराना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड–2 (लोक लेखा) तथा खण्ड–4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा–शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2. जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा–शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

3. यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे का कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रुपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

छायाप्रति प्रमाणित
(हस्ताक्षर)
(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

फार्म प्राप्ति स्थान ...

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड, देहरादून

महोदय,

निर्वाचन विभाग के विभागीय वाहनों मे प्रयुक्त ईंधन के संबंध मे प्रारम्भ मे परिलक्षित हुई ईंधन और तत्सम्बन्धी वित्तीय अनियमितता के क्रम में महोदया के निर्देशानुसार दिनांक 16.9.201 तक कुल धनराशि 178000=00 मे से 60000=00 मात्र की धनराशि को प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.9.2017 को संबंधित पैट्रोल पम्प मे जमा कराकर प्राप्ति रसीद इसी दिन महोदया के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाये एवं शेष धनराशि दिनांक 16.9.2017 तक जमा करवाकर प्राप्ति रसीद महो के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी।

साक्षी

(1) श्री प्रदीप सेमवाल 8/9/17
S/o श्री टीकाराम सेमवाल
M-118 नेहरू कालोनी
देहरादून - 7060482968

(2) रजत मेहरा 8/9/17
S/o स्व० श्री भोलानाथ मेहरा
डोल्फ्यू कॉटेज, कैमल्स बैक

प्रार्थी
दीपक सेमवाल 8/9/17
S/o श्री टीकाराम सेमवाल
M-118 नेहरू कालोनी
देहरादून 9410196772

छायाप्रति प्रमाणित
(बी. एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

<u>सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,</u>

महोदय,

इस कार्यालय में संचालित वाहनों के दिनांक 16 जून, 2017 से 31 अगस्त, 2017 की अवधि के बिलों के भुगतान के दौरान संज्ञान में आया है कि श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक संविदा द्वारा कार्यालय के विभिन्न वाहनों में ईधन आपूर्ति हेतु पर्चियों में फर्जी हस्ताक्षर कर पेट्रोल पम्प से सीधे ईधन/धनराशि प्राप्त की गयी है, जो कि बहुत गम्भीर वित्तीय अनियमितता हैं। उक्त सन्दर्भ में दिनांक 07-09-2017 को श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक संविदा से पूछताछ की गई जिसमें उनके साथ श्री रमेश पंवार, वाहन चालक संविदा के साथ अपने इस कृत्य को स्वीकार किया गया **"पताका-क"** पर अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उक्त के कम में इस कार्यालय में संचालित वाहनों के दिनांक 01 मार्च, 2017 से दिनांक 31 अगस्त, 2017 के दौरान ईधन की आपूर्ति से संबंधित देयकों के भुगतान के बिलों की जांच की गई। श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक संविदा द्वारा ईधन पर्चियों में फर्जी हस्ताक्षर कर वाहनों में क्षमता से अधिक ईधन आपूर्ति की पर्चियों निर्गत की गयी। उक्त अवधि के बिलों की जांच की गयी जिसमें **रू0 7,54,494.00 (सात लाख चवन हजार चार सौ चौरानब्बे हजार)** मात्र की धनराशि का व्यायाधिक्य परिलक्षित हुआ। इस सम्बन्ध में सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री दीपक सेमवाल कनिष्ठ सहायक संविदा को संबंधित पेट्रोल पम्प के बिलों की धनराशि अधिक प्रतीत होने के सम्बन्ध में कई बार निर्देशित किया गया लेकिन श्री सेमवाल द्वारा उक्त बिलों को सही बताते हुए बिल को सत्यापित कर उन्हें गुमराह किया गया। जो कि श्री सेमवाल द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर वित्तीय अनियमतता शासकीय धन का दुरूप्योग एवं उच्चाधिकारियों को गुमराह कर अभिलेखों में हस्ताक्षर करवाने आदि कृत्य किये गये। जो कि एक गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई हैं।

3. उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रमुख सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय के संज्ञान में लाया गया। जिसके अनुसार **"पताका-ख"** पर इस कार्यालय के पत्र संख्या-2188 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 एवं **"पताका-ग"** पर 2189 दिनांक 08 सितम्बर, 2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त पत्रों के माध्यम से सम्बन्धित को निम्नानुसार धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया:--

कम सं.	माह	फर्म द्वारा भुगतान हेतु उपलब्ध कराये गये बिल की धनराशि	वाहनों द्वारा प्रयुक्त किये गये ईधन की वास्तविक धनराशि	जांच के पश्चात् कार्यालय के वाहनों में क्षमता से अधिक ईधन के भुगतान की धनराशि	कॉलम 05 के अनुसार फर्म को भुगतान
1	2	3	4	5	6
1	मार्च, 2017	1,58,818.00	77,049.00	81,769.00	4,99,038.00
2	अप्रैल, 2017	1,73,439.00	76,555.00	96,884.00	
3	मई, 2017	2,35,022.00	53,768.00	1,81,254.00	
4	दिनांक 1-06-2017 से दिनांक 15-06-2017 तक	1,65,920.00	26,789.00	1,39,131.00	
5	दिनांक 16-06-2017 से दिनांक 30-06-2017 तक	75,370.00	16,828.00	58,542.00	2,55,456.00
6	जुलाई, 2017	1,24,498.00	39,222.00	85,276.00	
7	अगस्त, 2017	1,55,310.00	43,672.00	1,11,638.00	
योग		10,88,377.00	3,33,883.00	7,54,494.00	7,54,494.00

छायाप्रति प्रमाणित
[signature]

(20)

— 61 —

विभाग
पत्रावली संख्या

टिप्पणी और आज्ञायें

उक्तानुसार क्रम 5, 6 एवं 7 के कॉलम 06 के अनुसार संबंधित फर्म को दिनांक 01 जून, 2017 से 31 अगस्त, 2017 तक श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक द्वारा ईधन पर्चियों में फर्जी हस्ताक्षर कर निर्गत की गई पर्चियों के बिलों के रू0 2,55,456/–भुगतान किया जाना है, जो श्री दीपक सेमवाल एवं रमेश पंवार द्वारा रू0 1,04,962/– फर्म को जमा की गई एवं पेट्रोल पम्प के कार्मिकों के उक्त भागीदारी कारण उन्हें रू 1,50,494/– स्वयं फर्म को जमा/वहन किया गया है।

उपरोक्त धनराशि को संबंधितों द्वारा निम्नानुसार फर्म को नकद एवं प्राप्तियों के लेखाशीर्षक में भुगतान/बैक चालान द्वारा किया गया।

क्रम सं.	कर्मचारी/फर्म का नाम	धनराशि जो शासकीय लेखाशीर्षक में जमा की गई/नगद भुगतान किया गया	धनराशि
1	श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक संविदा	चालान संख्या 00201 दिनांक 19 सितम्बर, 2017	2,46,000.00
2	श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक संविदा	चालान संख्या 10283 दिनांक 27 सितम्बर, 2017	2,48,000.00
3	श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक संविदा	चालान संख्या00041 दिनांक 03 अक्टुबर, 2017	5,038.00
	योग		**4,99,038.00**
3	श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक संविदा	नगद पेट्रोल पम्प को भुगतान	1,04,962.00
4	मै0 ह्वील सर्विस सेन्टर, देहरादून	फर्म द्वारा स्वंय अपने कर्मचारियों से वसूल की गयी।	1,50,494.00
	योगः–		**7,54,494/–**

उक्तानुसार श्री दीपक सेमवाल, कनिष्ठ सहायक संविदा एवं श्री रमेश पंवार, वाहन चालक जो उपनल के माध्यम से आउटसोर्स पर तैनात के द्वारा की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं को दृष्टिगत उक्त कार्मिक को उपनल को वापस करते हुए निर्वाचन विभाग से इनकी सेवाएं समाप्त किए जाने के प्रस्ताव पर प्रमुख सचिव एवं मु0 नि0 अ0 महोदया का अनुमोदन निवेदित है।

अतः उक्तानुसार पत्रावली प्रमुख सचिव एवं मु0 नि0 अ0 महोदया के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना चाहे।

B.S. Rawat
06 Oct 2017
S.O.

महोदय,
उक्त दोनों कार्मिकों द्वारा उच्चाधिकारि →

छायाप्रति प्रमाणित
B.S. Rawat

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रकाश

21

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

को गुमराह कर फर्जी रूप से की गई व्ययाधिक्य की धनराशि वसूल कर इसे कोषागार चालान द्वारा शासकीय कोष में जमा कर लिया गया है। शासकीय कार्य में की गई वित्तीय अनियमितता के क्रम में उक्त दोनों कार्मिकों की सेवाएं तत्काल समाप्त कर इन्हें उपनल को वापस प्रत्यावर्तित किया जाना आवश्यक है।

कृपया तदनुसार प्रमुख सचिव/CEO महोदया का अनुमोदन एवं हस्ताक्षर निवेदित है।

6/x/2017
(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड

वित्त नियंत्रक

6/x/2017
(जे. सी. जोशी)
वित्त नियंत्रक
निर्वाचन।

मु०नि०अ०/प्रमुख सचिव

6/10/17
(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

छायाप्रति प्रमाणित
(बी एस रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रकाश

22

विभाग
पत्रावली संख्या

टीपें और आज्ञायें

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी

महोदय कृपया गत पृष्ठ संख्या 60 से 62 का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि विभागीय वाहन संख्या–यू.के. –07जी.ए.–0278 को संचालित किये जाने हेतु कार्य की महत्ता, तात्कालिकता एवं समयबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए एक वाहन चालक को उपनल के माध्यम से Out Source पर तैनात किया जा सकता है।

2. उक्त के सन्दर्भ में उत्तराखण्ड शासन निर्वाचन अनुभाग के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन सम्बन्धी शासनादेश सख्या–107/XXV–107–2(1)/2007 दिनांक 23 जनवरी, 201[illegible] का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त ढॉचे के अनुरूप वर्तमान में स्वीकृत 04 वाहन चालकों के पद के सापेक्ष 03 (तीन) कार्मिक कार्यरत हैं एवं एक वाहन चालक का पद रिक्त है, जिस रिक्त पद पर उपनल के माध्यम से Out Source पर तैनात किया जाना प्रस्तावित है।

3. उक्तानुसार कार्यालय में तैनात किये जाने वाले कार्मिक के पारिश्रमिक का भुगतान निर्वाचन विभाग के विभागीय बजट से किया जायेगा एवं वर्तमान समय में संबंधित मानक मद में बजट भी उपलब्ध है। जिस पर सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया का उच्चानुमोदन प्राप्त किया जाना निवेदित है।

अतः उक्तानुसार सहमति की दशा में 01 वाहन चालक को उपनल के माध्यम से Out Source पर तैनात किये जाने के संबंध में सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदया के अनुमोदन हेतु पत्रावली संदर्भित करना चाहें।

B. S. Rawat
29 Dec. 2017
S. O

29/12/2017

Asst. C. E. O.

महोदया,
कृपया "अंश-क" अनुमोदनार्थ निवेदित।
29/12/17
ACEO

S.O (R)
कृ. पत्रावली प्रस्तुत करें।

A CEO

हस्ताक्षरित

(बी. एस. रावत)
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।